

Number of incidents of Stubble/ Farm Fires

- 61. (14/14/182). Sh. Rakesh Daultabad (Badshahpur), Environment & Climate Change Minister:** Will the Chief Minister be pleased to state:-
- a) The day-wise number of incidents of stubble/farm fires recorded by the Government across the State over the last 3 months;
 - b) The measures taken by the Government to reduce the incidents of stubble/farm fires across the State;
 - c) The number of zero tillage machines available with the Government in State; and
 - d) The measures being adopted by the Government to promote the usage of zero tillage machines in State?

CHIEF MINISTER, HARYANA

Sir,

- a) Indian Council of Agriculture Research (ICAR), Govt. of India reports day wise number of incidents of stubble farm fires for the fixed duration i.e. from 15 September to 30 November. Accordingly day wise number of incidents of stubble farm fires reported during last 3 years across the state is annexed as **Annexure-1**.
- b) The all-out efforts were made by the Government to reduce the incidents of stubble/farm fires across the state, the details of which are given as under:
 - i. Hotspot villages were identified and categorized in Red Zone (more than 6 burning events) & Yellow Zone (2-5 burning events) based on the burning event reported during the previous year. Accordingly, all the resources were intensified in these hotspot villages to reduce stubble fires besides deputing nodal officers in these villages to motivate people not to burn stubbles.

- ii. Subsidy @ 50% to 80% is provided for purchase of machine for management of crop residue to the farmers. Subsidy of Rs. 666 crore has been provided to the farmers for purchase of 79477 crop residue management machines since 2018-19 till today.
- iii. Incentive @ Rs. 1000/- per acre is provided to the farmers for in-situ/ex-situ management of crop residue. An amount of Rs. 9 crore and Rs. 25 crore was disbursed during the year 2020-21 & 2021-22 respectively. During the current year, 92442 farmers have registered for management of residue in 8.43 lakh acres of paddy for an incentive amounting to Rs. 84.3 crore.
- iv. Provision of additional top up assistance @ Rs. 500/MT in addition to current provision of assistance @ Rs.500/MT has been made. Hence, total Rs. 1000 per MT to the clusters identified by IOCL for 2G ethanol plant for supply of roughly 2 lakh MT of paddy crop residue is being provided.
- v. Cluster of villages producing bio-mass in vicinity of various industrial unit are being formed by the New and Renewable Energy Department in consultation with Agriculture & Farmer Welfare Department, Haryana to ensure uninterrupted supply of crop residue to such industrial units and also provide some revenue to farmers.
- vi. An ex-situ policy has also been formulated as per directions of Commission for Air Quality Management in NCR and adjoining area to supply paddy crop residue to industries and same will be notified soon. The policy envisages for providing various types of benefits to industries so that more such industries are established in Haryana.

- vii. Panchayat land for storage of paddy crop residue is being provided by concerned Panchayats.
- viii. Awareness regarding ill-effects of crop residue burning and their alternative solutions created through Village/Block/Subdivision/District level awareness camps, Print/Social Media, Farmers Trainings, School/College level activities/Rallies and involving women and religious places i.e. Gurudwara, Temple, Satsang Bhawan etc.
- ix. Farmers were trained by Haryana Agricultural Management & Extension Training Institute (HAMETI), Jind regarding operation, maintenance and upkeep of crop residue management machinery, besides awareness regarding ill-effects of crop residue burning.
- x. Deputy Commissioners at District level and Sub Divisional Officers at Sub Divisional level were deputed as nodal officers for utilization of crop residue and not burning crop residue.
- xi. Control rooms were established at State level and at District level for monitoring and prevention of crop residue burning.
- xii. Services of Haryana Space Applications Centre (HARSAC) were engaged for reporting of burning incidences for taking enforcement measures.
- xiii. Flying squads were constituted for taking enforcement measures against the farmers involved in crop residue burning. A total of 2641 challan were issued imposing fine of Rs. 61.90 lakh during the current season.
- xiv. Lambardar were roped in for mobilizing the farmers for utilization of crop residue and not burning crop residue.

As a result of the efforts made by the State, a reduction of 48% has been achieved during the current

year in comparison to previous year which is the most significant reduction in any of the previous year, details given as under:

2021	2022	% Reduction
6987	3661	48%

- c) A total of 15671 zero tillage machines were made available to the farmers on subsidy under the scheme “Promotion of Agricultural Mechanization for in-situ management of crop residue in states of Punjab, Haryana, U.P. and NCT of Delhi” since inception of the scheme i.e. 2018-19.
- d) Government is making efforts for promoting the usage of Zero Tillage Machines, details given as under:-
- Subsidy is being provided to the farmers on the purchase of Zero Tillage Machines.
 - Incentive @1000/- per acre provided for usage of Zero Tillage Machines in managing paddy crop residue.
 - Awareness Creation amongst the farmers for use of zero till seed cum fertilizer drill.

ANNEXURE-1

Date wise number of Paddy Residue Burning Events reported by ICAR (15 September to 30 November)							
Haryana							
Date	2020	2021	2022	Date	2020	2021	2022
15-Sep	2	0	0	24-Oct	57	38	250
16-Sep	1	0	0	25-Oct	155	71	12
17-Sep	3	0	0	26-Oct	77	175	123
18-Sep	0	0	1	27-Oct	96	93	83
19-Sep	2	0	0	28-Oct	139	149	123
20-Sep	6	0	0	29-Oct	52	161	112
21-Sep	2	0	0	30-Oct	100	148	112
22-Sep	1	0	0	31-Oct	108	353	70
23-Sep	0	0	0	01-Nov	151	124	88
24-Sep	0	0	0	02-Nov	111	203	166
25-Sep	11	0	0	03-Nov	93	197	128
26-Sep	5	0	0	04-Nov	72	228	63
27-Sep	8	0	0	05-Nov	66	331	90
28-Sep	6	1	0	06-Nov	151	219	46
29-Sep	9	4	0	07-Nov	150	182	37
30-Sep	22	2	0	08-Nov	115	138	11
01-Oct	15	4	1	09-Nov	21	217	69
02-Oct	30	2	7	10-Nov	80	184	35
03-Oct	8	6	8	11-Nov	93	126	152
04-Oct	29	2	7	12-Nov	83	127	99
05-Oct	17	3	24	13-Nov	105	210	132
06-Oct	30	0	26	14-Nov	35	195	17
07-Oct	32	11	6	15-Nov	31	129	21
08-Oct	29	27	0	16-Nov	0	269	84
09-Oct	20	39	1	17-Nov	9	101	39
10-Oct	33	95	2	18-Nov	60	111	108
11-Oct	90	51	0	19-Nov	37	132	79
12-Oct	69	51	4	20-Nov	77	127	32
13-Oct	47	91	15	21-Nov	65	178	11
14-Oct	69	98	30	22-Nov	15	91	20
15-Oct	106	363	36	23-Nov	52	59	27
16-Oct	80	176	76	24-Nov	20	37	32
17-Oct	143	0	86	25-Nov	1	41	28
18-Oct	166	1	134	26-Nov	0	48	12
19-Oct	72	55	122	27-Nov	26	28	8
20-Oct	62	155	78	28-Nov	57	9	13
21-Oct	101	131	107	29-Nov	65	14	5
22-Oct	128	140	122	30-Nov	17	18	14
23-Oct	106	218	217	Total	4202	6987	3661

पराली/खेतों में आग लगने की घटनाओं की संख्या

61. (14/14/182). श्री राकेश दौलताबाद (बादशाहपुर), पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

मंत्री: क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- क) पिछले 3 महीनों में राज्य भर में सरकार द्वारा दर्ज की गई पराली/खेत में आग लगने की घटनाओं की प्रतिदिन की संख्या;
- ख) राज्य भर में पराली/खेतों में आग लगने की घटनाओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय;
- ग) राज्य में सरकार के पास उपलब्ध जीरो टिलेज मशीनों की संख्या; और
- घ) राज्य में जीरो टिलेज मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

मुख्यमंत्री, हरियाणा

श्रीमान,

क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारत सरकार द्वारा एक निश्चित अवधि यानी 15 सितंबर से 30 नवंबर तक पराली में आग लगने की घटनाओं की प्रतिदिन की रिपोर्ट दी जाती है। तदनुसार, राज्य भर में पिछले 3 वर्षों के दौरान पराली में आग लगने की प्रतिदिन की घटनाओं की संख्या अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।

ख) राज्य भर में पराली/खेतों में आग लगने की घटनाओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए गए, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

- i) पिछले वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई जलने की घटनाओं के आधार पर हॉटस्पॉट गांवों की पहचान की गई एवं इनका वर्गीकरण क्रमशः रेड (6 से अधिक जलने की घटनाएं) और येलो (2-5 जलने की घटनाएं) जोन में किया गया। इसके अनुसार, इन हॉटस्पॉट गांवों में पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए सभी संसाधनों को इन गांवों में केन्द्रित कर दिया गया, इसके अलावा इन गांवों में नोडल

अधिकारियों को तैनात किया गया ताकि लोगों को पराली न जलाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

- ii) किसानों को फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए मशीन खरीदने पर 50% से 80% की दर से अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2018-19 से अब तक 79477 फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की खरीद के लिए किसानों को 666 करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जा चुकी है।
- iii) किसानों को फसल अवशेषों के इनसीटू प्रबंधन -एक्स/सीटू- करने के लिए 1000/- रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः 9 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया। चालू वर्ष के दौरान, 92442 किसानों ने 8.43 लाख एकड़ क्षेत्र में धान फसल अवशेष प्रबंधन के लिए पंजीकरण किया है। जिसके लिए 84.3 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
- iv) आईओसीएल के 2जी इथेनॉल संयंत्र के लिए धान फसल अवशेष की आपूर्ति हेतु वर्तमान में 500/- रुपये मीट्रिक टन की दर से दी जा रही सहायता के अतिरिक्त 500/- रुपये मीट्रिक टन की सहायता का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार आईओसीएल के 2जी इथेनॉल संयंत्र के लिए चयनित क्लस्टरों के लिए कुल 1000/- रुपये मीट्रिक टन की सहायता का प्रावधान किया गया है। ताकि प्लांट के लिए लगभग 2 लाख मीट्रिक टन धान की फसल के अवशेषों की आपूर्ति की जा सकें।
- v) औद्योगिक इकाइयों को फसल अवशेषों की निर्बाध आपूर्ति एवं किसानों को वित्तीय लाभ सुनिश्चित करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा के परामर्श से विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के आसपास बायोमास उत्पन्न करने वाले गांवों का क्लस्टर बनाया जा रहा है।
- vi) धान फसल अवशेषों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु

गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अनुसार एक एक्स-सीट्ट नीति तैयार की गई है और इसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। नीति में उद्योगों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करते हुए धान फसल अवशेषों की निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।

- vii) संबंधित पंचायतों द्वारा धान फसल अवशेषों के भण्डारण हेतु पंचायत भूमि उपलब्ध करायी जाती है।
- viii) फसल अवशेषों को जलाने के दुष्प्रभावों और उनके वैकल्पिक समाधानों की जागरूकता हेतु गांव/ब्लॉक/उपमंडल/जिला स्तरीय जागरूकता शिविरों, प्रिंट/सोशल मीडिया, किसान प्रशिक्षण, स्कूल/कॉलेज स्तर की गतिविधियों/रैलियों और महिलाओं और धार्मिक स्थलों यानी गुरुद्वारा, मंदिर, सत्संग भवन आदि को शामिल किया गया।
- ix) हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (हमेटी), जींद द्वारा किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के संचालन, रखरखाव बारे प्रशिक्षण दिया गया और इसके अलावा फसल अवशेष जलाने के दुष्प्रभावों के बारे में भी जागरूक किया गया।
- x) फसल अवशेषों के उपयोग एवं पराली न जलाने के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त एवं उपमंडल स्तर पर उपमंडल अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।
- xi) फसल अवशेषों को जलाने की रोकथाम और निगरानी के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं।
- xii) पराली जलाने की घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एचएआरएसएसी) की सेवाएं ली गई ताकि पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्यवाई की जा सके।
- xiii) पराली जलाने में शामिल किसानों के खिलाफ कार्यवाई के लिए उड़नदस्ते गठित किए गए। मौजूदा सीजन के दौरान

61.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए कुल 2641 चालान काटे गए।

- xiv) लंबरदार को फसल अवशेषों के उपयोग और फसल अवशेषों को न जलाने के लिए किसानों को लामबंद करने के लिए हेतु नियुक्त किया गया ।

राज्य द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में 48% की कमी हासिल की गई है, जो पिछले वर्षों में किसी भी वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण कमी है। विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

2021	2022	% कमी
6987	3661	48%

- ग) "पंजाब, हरियाणा, यू पी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राज्यों में फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने" की योजना के तहत इस योजना की शुरुआत यानी 2018-19 से अब तक सब्सिडी पर किसानों को कुल 15671 जीरो टिल मशीनें उपलब्ध कराई गई ।

- घ) जीरो टिलेज मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का विवरण नीचे दिया गया है:-

- जीरो टिलेज मशीन की खरीद पर किसानों को सब्सिडी दी जा रही है।
- धान की फसल के अवशेषों के प्रबंधन में जीरो टिलेज मशीनों के उपयोग के लिए प्रति एकड़ 1000/- प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
- जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के उपयोग एवं इसके लाभ के लिए किसानों में जागरूकता पैदा करना।

आईसीएआर द्वारा रिपोर्ट की गई धान अवशेष जलाने की घटनाओं की तिथिवार संख्या (15 सितंबर से 30 नवंबर)							
हरियाणा							
तिथि	2020	2021	2022	तिथि	2020	2021	2022
15-सितंबर	2	0	0	24-अक्टूबर	57	38	250
16-सितंबर	1	0	0	25-अक्टूबर	155	71	12
17-सितम्बर	3	0	0	26-अक्टूबर	77	175	123
18-सितंबर	0	0	1	27-अक्टूबर	96	93	83
19-सितंबर	2	0	0	28 अक्टूबर	139	149	123
20 सितंबर	6	0	0	29 अक्टूबर	52	161	112
21-सितंबर	2	0	0	30 अक्टूबर	100	148	112
22-सितंबर	1	0	0	31 अक्टूबर	108	353	70
23-सितंबर	0	0	0	01-नवंबर	151	124	88
24-सितंबर	0	0	0	02-नवंबर	111	203	166
25 सितंबर	11	0	0	03-नवंबर	93	197	128
26-सितंबर	5	0	0	04-नवंबर	72	228	63
27-सितंबर	8	0	0	05-नवंबर	66	331	90
28-सितंबर	6	1	0	06-नवंबर	151	219	46
29-सितंबर	9	4	0	07-नवंबर	150	182	37
30-सितंबर	22	2	0	08-नवंबर	115	138	11
01-अक्टूबर	15	4	1	09-नवंबर	21	217	69
02-अक्टूबर	30	2	7	10-नवंबर	80	184	35
03-अक्टूबर	8	6	8	11-नवंबर	93	126	152
04-अक्टूबर	29	2	7	12-नवंबर	83	127	99
05-अक्टूबर	17	3	24	13-नवंबर	105	210	132
06-अक्टूबर	30	0	26	14-नवंबर	35	195	17
07-अक्टूबर	32	11	6	15-नवंबर	31	129	21
08-अक्टूबर	29	27	0	16-नवंबर	0	269	84
09 अक्टूबर	20	39	1	17-नवंबर	9	101	39
10 अक्टूबर	33	95	2	18-नवंबर	60	111	108
11-अक्टूबर	90	51	0	19-नवंबर	37	132	79
12-अक्टूबर	69	51	4	20-नवंबर	77	127	32
13-अक्टूबर	47	91	15	21-नवंबर	65	178	11
14-अक्टूबर	69	98	30	22-नवंबर	15	91	20
15 अक्टूबर	106	363	36	23-नवंबर	52	59	27
16-अक्टूबर	80	176	76	24-नवंबर	20	37	32
17-अक्टूबर	143	0	86	25-नवंबर	1	41	28
18-अक्टूबर	166	1	134	26-नवंबर	0	48	12
19 अक्टूबर	72	55	122	27-नवंबर	26	28	8
20-अक्टूबर	62	155	78	28-नवंबर	57	9	13
21-अक्टूबर	101	131	107	29-नवंबर	65	14	5
22-अक्टूबर	128	140	122	30-नवंबर	17	18	14
23-अक्टूबर	106	218	217	कुल	4202	6987	3661